(च) ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण और उनकी सेवाओं का उपयोग करना;

(छ) बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना ।

5. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में :–

(क) रोजगार तथा उत्पादों में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण संस्थानों के समन्वय के लिए योजना बनाना ;

(ख) आपसी सहयोग के सिद्धान्त पर ग्राम समुदाय में स्वयं सहायता तथा आत्म–निर्भरता में प्रशिक्षण ;

(ग) समुदाय के लाभ के लिए अधिशेष ऊर्जा, संसाधनों और समय का उपयोग;

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना ।

6. कृषि तथा सिंचाई के क्षेत्र में :–

(क) द्वीपों में कृषि विकास के लिए योजना बनाना;

(ख) भूमि तथा जल संसाधनों का उपयोग और आधुनिकतम अनुसंधानों के अनुसार परिष्कृत कृषि पद्धतियों का प्रचार;

(ग) द्वीपों में सिंचाई कार्यों का निर्माण और अनुरक्षण;

(घ) द्वीपों में कृषि भूमि का सुधार और सरंक्षण;

(ङ) बीज प्रवर्धक कार्यों का अनुरक्षण, पंजीकृत बीज उत्पादकों को सहायता तथा द्वीपों में बीजो का वितरण;

(च) फल तथा सब्जि उत्पादों को बढ़ाना ;

(छ) खाद संसाधनों का संरक्षण, मिश्रित खाद, जैविक खाद तैयार करना और उसके आसानी से उपलब्ध्ता का प्रबन्ध करना;

(ज) परिष्कृत कृषि सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना;

(झ) फसलो, फलों, पेड़ों तथा पौधों को रोगों से बचाना;

(ञ) सिंचाई तथा कृषि विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना;